न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 48/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/165)

1. नारायण पुत्र रामला
2. राम मनोहर पुत्र रामला
3. महेश पुत्र लालाराम
4. मुकेश पुत्र लालाराम
5. गोपाल पुत्र किशना
6. रमेश पुत्र हट्या
7. सुरेश पुत्र हट्या
8. कमलेश पुत्र हट्या
9. पूरण पुत्र परमा

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. शम्भू पुत्र लोहड्या जाति मीना निवासी ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा। ,
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा, जिला दौसा।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 29.03.2022 जो प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 12/2017 अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी शंभू बनाम राजस्थान सरकार व अन्य पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री योगेश जाखड, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री संजय कुमार शर्मा, वकील रेस्पो0 सं0 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 15.04.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 29.03.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 22.06.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि ग्राम मांगाभाटा तह० दौसा में प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 245, 246, 256 व 260 कुल किता 4 कुल रकबा 1.81 है0 स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 10 तक का प्रार्थी की उक्त भूमि से कोई वास्ता नही है उक्त भूमि का दिनांक 04.11.2016 को सीमाज्ञान भी करवाया है प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को आदेशित किया गया कि उक्त भूमि खसरा नंबर 245, 246, 256 व 260 कुल किता 4 रकबा 1.81 हेक्टर का अनुभवी पटवारियों/भू–अभि०निरी० की टीम गठित कर स्वयं की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे, प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किये जाने एवं सीमाज्ञान/पत्थरगढी के दौरान

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अगर पुलिस जाप्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2022 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 29.03.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 29.03.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय, नियम, प्रक्रिया के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवम साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही उक्त निर्णय पारित फरमाया है जो कानूनन निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवम माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवम पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष विचाराधीन अपील उनवानी रमेश बनाम शम्भू अपील संख्या 42/17 में स्थगन के संबंध में अपनी विवेचना कर अपीलाधीन निर्णय पारित फरमाया है जबकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों का विनिश्चय होना अभी शेष है। अधीनस्थ न्यायालय को खातेदारी के संबंध में अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील के तथ्यों के संबंध में जानकारी लेकर अपीलाधीन निर्णय पारित फरमाया जाना चाहिए था। खातेदारी विवादित होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक मौके के विपरीत स्थिति होने के उपरान्त भी अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधि की एवम तथ्य की भूल की है। विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्याय होना ही नही चाहिए वरन न्याय दिखना भी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 128 रा.भू.रा.अधिनियम में विवाद की प्रकृति जाने बिना फौरी तौर पर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी संदेहास्पद होने तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में अन्य वाद विचाराधीन होने की जानकारी होने के उपरान्त भी समुचित साक्ष्य लिए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित फरमाया है ऐसी दशा में भी निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय माननीय राजस्व मण्डल एवम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण भी निरस्तनीय है।

निर्णय जैर अपील की अपीलांट्स को पूर्व में कभी कोई जानकारी नही हो सकी क्योकि अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट्स को आश्वस्त कर रखा था कि प्रत्येक ता० पेशी पर आने की कतई आवश्यकता नही है जिसके कारण अपीलांट्स निर्णय के दिवस उपस्थित नहीं थे तथा अधिवक्ता द्वारा अपीलांट्स को उक्त निर्णय की कोई सूचना नहीं दी गई अब अपीलांट्स द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपने मुकदमे की जानकारी चाही तो उन्होने बताया कि उक्त प्रकरण का निर्णय हो चुका है जिसकी नकल लेकर अपील करनी है जिस पर अपीलांट्स ने उक्त निर्णय की नकल हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया जिसकी नकल दिनांक 16.06.2022 को प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद अपील पेश की जा रही है यदि फिर भी अपील पेश करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत देरी क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाने की कृपा करें। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.03.2022 निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया गया कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि ग्राम मांगाभाटा तह० दौसा में प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 245, 246, 256 व 260 कुल किता 4 कुल रकबा 1.81 है0 स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 10 तक का प्रार्थी की उक्त भूमि से कोई वास्ता नही है उक्त भूमि का दिनांक 04.11.2016 को सीमाज्ञान भी करवाया है प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को आदेशित किया गया है कि उक्त भूमि खसरा नंबर 245, 246, 256 व 260 कुल किता 4 रकबा 1.81 हेक्टर का अनुभवी पटवारियों/भू–अभि०निरी० की टीम गठित कर स्वयं की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। सीमाज्ञान/पत्थरगढी के दौरान अगर पुलिस जाप्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त किये के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2022 पारित किये गये हैं। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2022 पारित किये गये है। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही दिनांक 16.06.2022 को नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि ग्राम मांगाभाटा तह० दौसा में प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 245, 246, 256 व 260 कुल किता 4 कुल रकबा

1.81 है0 स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 10 तक का प्रार्थी की उक्त भूमि से कोई वास्ता नही है उक्त भूमि का दिनांक 04.11.2016 को सीमाज्ञान भी करवाया है प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को आदेशित किया गया कि उक्त भूमि खसरा नंबर 245, 246, 256 व 260 कुल किता 4 रकबा 1.81 हेक्टर का अनुभवी पटवारियों/भू–अभि०निरी० की टीम गठित कर स्वयं की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे, प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किये जाने एवं सीमाज्ञान/पत्थरगढी के दौरान अगर पुलिस जाप्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2022 पारित किये गये हैं।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा की पत्रावली व उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा ने पत्र क्रमांक/293 दिनांक 07.03.2019 द्वारा तहसीलदार दौसा से विवादित आराजी भूमि के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं उक्त विवादित भूमि पत्थरगढी योग्य है या नहीं ? की रिपोर्ट चाही गयी थी। तहसीलदार (भू.अ.) दौसा ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 22.02.2022 में अंकित किया गया है कि "उक्त विवादित भूमि ग्राम मांगाभाटा के आराजी ख.नं. 245 रकबा 0.23 है0, ख.नं. 246 रकबा 0.17 है0, ख.नं. 256 रकबा 0.86 है0, ख.नं. 260 रकबा 0.55 है0 कुल किता 4, कुल रकबा 1.81 है0 भूमि शंभू पुत्र लोहडया हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें वर्तमान जमाबन्दी में नोट संख्या 21 से दिनांक 09.12.2019 खसरा संख्या 245, 246, 256, 260 के सभी काश्तकार पर न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी दौसा मु0 जयपुर के मु.नं. 42/2017 दिनांक 21.06.2019 व तहसीलदार दौसा के आदेश क्रमांक/भू.अ./2019/19623 दिनांक 25.11.2019 से स्थगन नोट लगा हुआ है। " होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.03.2022 में यह विवेचन किया गया है कि तहसीलदार दौसा द्वारा पत्थरगढी करवाने में कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया गया है, जो विरोधाभासी है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2022 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी दौसा मु0 जयपुर के मु.नं. 42/2017 उनवानी रमेश बनाम शम्भू में जारी स्थगन आदेश दिनांक 12.05.2017 की वर्तमान वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर एवं न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः आदेश है कि :– अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2022 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी दौसा मु0 जयपुर के मु.नं. 42/2017 उनवानी रमेश बनाम शम्भू में जारी स्थगन आदेश दिनांक 12.05.2017 की वर्तमान वस्तुस्थिति की रिपोर्ट

प्राप्त कर एवं न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर